समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)
आदेश।

प्रबंध, निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक 1727 दिनांक 08.02.2016 के द्वारा बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 क गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.2016 की तिथि पर करने हेतु दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 31.03.2016 की तिथि पर मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्यरत राज्य खाद्य निगम के पॉच गोदामों यथा-मधेपुरा/ मुरलीगंज/ बिहारीगंज/ उदाकिशुनगंज/आलमनगर का भौतिक सत्यापन करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए राज्य खाद्य निगम गोदाम का सत्यापन कार्य करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को सम्बद्ध किया जाता हैः-

क्र0	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का पदनाम	सम्बद्ध पदाधिकारी का पदनाम	राज्य खाद्य निगम के गोदाम का स्थान
1	2	4	
1	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	1. अंचल अधिकारी, मुरलीगंज 2. प्र0आ0पदा, मुरलीगंज	प्रखंड मुरलीगंज
2		1. कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा 2. प्र0आ0पदा, मधेपुरा	प्रखंड मधेपुरा
3	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	1. अंचल अधिकारी, बिहारीगंज 2. प्र0आ0पदा, बिहारीगंज	प्रखंड बिहारीगंज
4		1. कायपलक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज 2. प्र0आ0पदा0, उदाकिशुनगंज	प्रखंड उदाकिशुनगंज
5	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपरा	1. अंचल अधिकारी, आलमनगर 2. प्र0आ0पदा, आलमनगर	प्रखंड आलमनगर

2. गोदामों का भौतिक सत्यापन प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सम्बद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से करेगें तथा विहित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' (छाया प्रति संलग्न) में गोदाम प्रभारी, जिला प्रबंधक तथा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि समेकित प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना को भेजा जा सके।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह0/- 9/3/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 208/आ0 मधेपुरा, दिनांक 09.03.2016

प्रतिलिपिः- प्रतिनियुक्त सम्बद्ध पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो को ई-मेल करने हेतु प्रेषित

ह0/- 9/3/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

गोदाम का भौतिक सत्यापन प्रपत्र

1. जिला का नामः-
2. गोदाम का नामः-
3. गोदाम प्रभारी का नामः-
4. भौतिक सत्यापन का वर्षः-
5. उक्त गोदाम का इसके पूर्व भौतिक सत्यापन कब हुआः-
6. उस समय सहायक प्रबंधक कौन थे तथा कब तक पदस्थापित रहें:-
7. सत्यापित करने वाले दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनामः-

प्रपत्र 'क'

क्र0	खाद्यान्न का नाम	दि031.03.15 का अंतिम अवशेष		दि0 01.04.15 से सत्यापन की तिथि.............. तक प्राप्ति		कुल खाद्यान्न की मात्रा		दि0 01.04.15 से सत्यापन की तिथि.............. तक वितरण		भौतिक सत्यापन में पाई गइ मात्रा		भौतिक सत्यापन में पाई गई क्षति		अभ्यूक्ति
		बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र 'ख'

क्र0	खाद्यान्न का नाम	प्रारम्भिक अवशेष दि0 01.04.14 का अंतिम अवशेष		वित्तीय वर्ष-14-15 में कुल प्राप्ति		कुल मात्रा		खाद्यान्न का वितरण दि0 01.04.14 से 31.03.15 तक		अंतिम अवशेष दि0 31.03.15 का		अभ्यूक्ति
		बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	बोरा की सं0	मात्रा क्वीं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

गोदाम प्रभारी का हस्ताक्षर दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर जिला प्रबंधक का हस्ताक्षर

77886

राज्य प्रभारी पदाधिकारी
शाखा आपूर्ति

0 3 MAR 2016

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0.

खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय, पथ, आर0 ब्लॉक रोड नं0–2,पटना– ।

आदेश।

विषय– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूत्ति निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव/परिवहन/भंडारण एवं निर्गमन के पर्यवेक्षण हेतु 'जन वितरण प्रणाली अन्न पर्यवेक्षण कवच' के लागू करने के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य के विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार के द्वारा अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव, परिवहन, भंडारण एवं निर्गमन इत्यादि की जबावदेही बिहार राज्य खाद्य निगम को सौंपा गया है। खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं भंडारण को पारदर्शी बनाने हेतु वर्ष 2014 से डोर–स्टेप–डिलीवरी योजना लागू की गयी, जिसके माध्यम से कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत खाद्यान्न उठाव/परिवहन की जानेवाले वाहनों को जी0पी0एस0 एवं लोड सेल के माध्यम से पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गयी है। भंडारण की व्यवस्था पारदर्शी हो इस हेतु जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न उठाव एवं आवंटन को ऑनलाईन किया गया है एवं डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जी0पी0एस0 युक्त वाहन से जन वितरण प्रणाली के दरवाजे पर खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी। पूर्व में यह व्यवस्था रही है कि प्रत्येक गोदाम प्रबंधक साप्ताहिक/समय-समय पर खाद्यान्न के भंडारण का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी /जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें एवं समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा गोदामों का भौतिक सत्यापन हो। विगत दिनों में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिसमें गोदाम के सत्यापन, भंडारण में अनाज की मात्रा में भारी कमी पायी गयी है। कई मामले में यह प्रकाश में आया है कि परिवहन अभिकर्ता को खाद्यान्न निर्गत करने वाले गोदाम प्रबंधक द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के बाद लम्बी अवधि तक गंतव्य गोदाम में अनाज नहीं पहुँचाने के बावजूद दोनों निर्गमन करने वाले/प्राप्त करने वाले गोदाम प्रबंधक वैसे मामले की छानबीन कर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पायी। अतः ऑनलाईन व्यवस्था के तहत एस0एम0एस0 एलर्ट के तहत यह भी व्यवस्था की गयी। खाद्यान्न ले जानेवाले जी0पी0एस0 युक्त वाहन यदि अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होते हैं तो उसका ऑटोमेटिक एस0एम0एस0 क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मिलने पर उसका सत्यापन भी किया जाना है। अतः ऐसी व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि एक समेकित एवं जबावदेही पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित की जाय। अतः "जन वितरण प्रणाली अन्न पर्यवेक्षण कवच" त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण कवच निम्न प्रकार से लागू करने का निर्णय लिया जाता है:–

286
3/3/16

1. **खाद्यान्न का जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहन से परिवहन :–**

उल्लेखनीय है कि पूर्व से ही यह व्यवस्था लागू है कि खाद्यान्न का परिवहन जी0पी0एस0 एवे लोड सेल युक्त वाहन से ही कराया जाय। अतः इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी जन वितरण प्रणाली का परिवहन प्रारंभ स्थान पर आवश्यक विवरणी यथा वाहन संख्या, ड्राईवर का नाम,मोबाईल नं0 तथा मात्रा इत्यादि की प्रविष्टि ऑनलाईन सेवा प्रदाता एजेन्सी 4th कम्पनी के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य निगम के पार्टल पर की जाय एवं उसकी जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की जायगी एवं परिवहन के दौरान मार्ग से पथभ्रष्ट होने के उपरांत इसका निश्चित रूप से एस0एम0एस0 प्राप्त करने वाले पदाधिकारी द्वारा इसका सत्यापन कर उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाय।

Copy to all MOs/SDOs/DM SFC for necessary action & report.
4/3/16

1/3/2016